समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
08.09.2020	**उत्पाद वाद संख्या-237/2020**	

राज्य

बनाम

1. अविनाश कुमार, पिता-सुरेश प्रसाद गुप्ता, सा0-शास्त्रीनगर गुलाबबाग हांसदा, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त MARUTI SUZUKI NO.-BR11Z-5100 के स्वामी)

.... *विपक्षी*

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। **अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया के पत्रांक 746/म0नि0 दिनांक-08.06.2020** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 07.06.2020 को समेकित जाँच चौकी, दालकोला के पास की गई।** जांच के क्रम में जप्त वाहन से **18.780 लीटर विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर **मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया** के न्यायालय में वाद दर्ज कराई गई। अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी वाहन मालिक द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनके द्वारा अपने कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी इस घटना से अनभिज्ञ हैं तथा उनके द्वारा अनैतिक कार्य नहीं किया गया है। विपक्षी बन्धपत्र देने के लिए तैयार हैं। अतएव वाहन मुक्त करने की कृपा की जाय।

अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। वाहन मालिक द्वारा अपने कारणपृच्छा में जप्त शराब के संबंध में किसी प्रकार का तथ्य नहीं लाया गया है। विपक्षी का कारणपृच्छा संतोषजनक

नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त MARUTI SUZUKI NO.-BR11Z-5100** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।